

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत श्री सुमीत कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय, पटना (वेतन स्तर-7) को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :

क्र0	नाम एवं कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थल/जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुमीत कुमार, 247 / 2024	नालन्दा	मुख्यालय, पटना	नरहट, नवादा	प्रशासनिक दृष्टिकोण से।

2. संबंधित आपूर्ति निरीक्षक मुख्यालय, पटना से विरमित होने के उपरांत नव पदस्थापित प्रखंड/स्थान पर अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त आपूर्ति निरीक्षक मुख्यालय, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि का बकाया वेतन नव पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला से प्राप्त करेंगे एवं ई0मेल के माध्यम से तत्काल अपना योगदान नव पदस्थापित स्थान पर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रबीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03- विविध (नियुक्ति)-02/2022 1693 खाद्य, पटना/दिनांक-08/04/2026  
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, नवादा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा/अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03- विविध (नियुक्ति)-02/2022 1693 खाद्य, पटना/दिनांक-08/04/2026  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/निदेशक-सह-विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/अवर सचिव, प्रशाखा-08 एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।